भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3363

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण

3363. श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में भारतीय न्यायपालिका विशेषरूप से उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी ढांचे का अभाव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस ई-शासन के युग में 50 प्रतिशत न्यायिक अवसंरचना में महिला शौचालय, शुद्ध पेयजल, बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में न्यायपालिका की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त न्यायिक बुनियादी ढांचा, वित्तीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की स्थापना की अपेक्षा की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक अवसंरचना और न्यायालय सुविधाओं की स्थिति पर डाटा संकलित किया है, जिसके अनुसार 74% न्यायालय परिसरों में अलग महिला शौचालय हैं और 84% में पुरुष शौचालय हैं, 54% न्यायालय परिसरों में प्यूरीफायर के साथ पीने के पानी की सुविधा, 5% न्यायालय परिसरों में है बुनियादी चिकित्सा सुविधा तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के लिए न्यायाधीश के मंच पर 27% न्यायालय कक्ष में कंप्यूटर रखा गया है।

न्यायालयों के लिए पर्याप्त अवसंरचना की व्यवस्था के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना के लिए भारत के मुख्य न्यायामुर्ति से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और जो भारतीय न्यायालय प्रणाली के लिए कार्यात्मक बुनियादी ढांचे का विकास, रखरखाव और प्रबंधन योजना, निर्माण, निर्माण

के लिए रोड मैप बनाने में केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगा। प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्रों को भेजा गया था, इस मामले पर विचार करने के लिए प्रस्ताव की रूपरेखा पर उनके विचारों के लिए क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण हितधारक हैं। 30.04.2022 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायामूर्तियों के सम्मेलन में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी और विचार-विमर्श के बाद कोई सहमति नहीं थी क्योंकि प्रस्ताव पर सहमति नहीं थी।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास की प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राज्यों सरकारों के स्रोंतो को बढाने के अनुक्रम में, संघ सरकार विहित निधि साझा पैटर्न में राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम लागू कर रही है। स्कीम वर्ष 1993-1994 से क्रियान्वित है।अब तक केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्कीमके अधीन 9013 करोड़ रु.जारी किए गए, जिसमें से 2014-15 से अब तक 5569 करोड़ रु.जारी किए जा चुके हैं जो इस स्कीम के अधीन कुल जारी का लगभग 61.79% है। 30.06.2022 तक उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार न्यायिक अधिकारियों की 24,623 मंजूर पद संख्या तथा 19,313 कार्यरत पद संख्या के लिए जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में संख्या, 20,993 न्यायालय कक्षों तथा 18,502 आवासीय इकाइया उपलब्ध हैं। इसके अलावा, न्याय विकास पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2,677 न्यायालय हॉल और 1,659 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं। सरकार ने इस सीएसएस को 01.04.2021 से 31.03.2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें कुल बजटीय परिव्यय 9,000 करोड़ रुपये है, जिसमें 5,307 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा सम्मिलित है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के अतिरिक्त शौचालयों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों और वकीलों के हॉल के निर्माण को भी कवर करने के लिए स्कीम के घटकों का विस्तार किया गया है। स्कीम के विस्तार और स्कीम में नई सुविधाओं की शुरूआत के अनुसरण में, न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 19.08.2021 को पुनरीक्षित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

****